

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प.03(7)ज0सं0 / 2020

जयपुर दिनांक : 02 JUN 2020

—: नोटिस :-

राजस्थान अभियांत्रिक एवं अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई) शाखा सेवा नियम 1954 के नियम 28 के अन्तर्गत अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारियों की वर्ष 2020-21 की अन्तरिम (Tentative) वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2020 की स्थिति अनुसार जारी की जाती है।

यदि किसी अधिकारी को उक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 15.06.2020 तक सांय 6.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता ~~रा.जा.~~/अथवा मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर को जरिये फैंक्स, डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर प्रस्तुत की जा सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

508918  
216  
E.E. 285  
03/6/20

आज्ञा से  
E.E.  
(निकया गोहाएन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें। यदि अन्तरिम वरिष्ठता सूची पर निर्धारित अवधि में आपत्तियों प्राप्त होती है तो आपकी टिप्पणी के साथ शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।
2. रक्षित पत्रावली।

2062  
3/6/20

EE 285  
03/6/20

(पी0सी0 नामा)  
सहायक शासन सचिव

Tentative Seniority List of Research Officer  
(As on 01-04-2020)

S.No.	Name	DOB	DPC Year	Category
1	Shri Naval Kishor Dayma (SC)	10-Jul-66	2016-17	SC

*2/11/2021*